

Examrace

परमाणु संयंत्रों का बीमा (Insurance of nuclear plants) for Competitive Exams

Get top class preparation for UGC right from your home: Get **detailed illustrated notes covering entire syllabus**: point-by-point for high retention.

सुर्खियों में क्यों?

भारत की पहली बीमा पॉलिसी (नीति), जो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ऑपरेटर (चालक) के लिए सार्वजनिक देयता करती है, न्यूक्लियर (नाभिकीय) पावर (शक्ति) कॉर्पोरेशन (निगम) ऑफ (का) इंडिया (भारत) लिमिटेड (सीमित) (एनपीसीआईएल) को जारी की गयी है।

- न्यूक्लियर (नाभिकीय) पावर (शक्ति) कॉर्पोरेशन (निगम) ऑफ (का) इंडिया (भारत) लिमिटेड (सीमित) (एनपीसीआईएल) परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- एनपीसीआईएल परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन (रूपरेखा), निर्माण, स्थापना और संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- यह वर्तमान में 5780 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 21 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन कर रहा है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने परमाणु क्षति के लिए पूरक क्षतिपूर्ति अधिनियम को अनुसमर्थित किया गया है।
- जून 2015 में सरकार के स्वामित्व वाली जनरल (सामान्य) इंश्योरेंस (बीमा) कॉर्पोरेशन (निगम)-रिइंश्यूरर (जीआईसी-आरई) और अन्य भारतीय बीमा कंपनियों (संघों) द्वारा इंडिया न्यूक्लियर (नाभिकीय) इंश्योरेंस (बीमा) पूल आरंभ किया गया।
- यह पूल सिविल (नागरिक) लायबिलिटी (देयता/ऋण) फॉर (के लिए) न्यूक्लियर (नाभिकीय) डैमेज (क्षति) एक्ट (अधिनियम) 2010 के प्रावधानों के तहत ऑपरेटर (चालक) के दायित्व को कवर (आवरण) करने के लिए एनपीसीआईएल को एक बीमा उत्पाद प्रदान करता है।
- इसमें परमाणु क्षति के लिए अधिकतम देयता के रूप में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

Developed by: **Mindsprite Solutions**